

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

क्रमांक 01-07/वेपुप्र/2423

जबलपुर, दिनांक 12.05.2010

स्पष्टीकरण

मंडल के आदेश क्रमांक 01-07/वेपुप्र/441 दिनांक 25.1.2010 के माध्यम से दिनांक 1.1.2006 से लागू वेतनमान से उद्भूत माह जनवरी, 2006 से अगस्त 2008 तक की अवधि के बकाया स्वत्वों (वेतन एरियर्स) का भुगतान माह अगस्त 2010 से प्रारंभ करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं ।

विभिन्न मैदानी स्थापनाओं/कार्यालयों द्वारा यह अभिमत चाहा गया है कि दिनांक 1.1.2006 से जुलाई, 2010 की समयावधि में सेवा निवृत्त हुए अथवा होने वाले/दिवंगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बकाया वेतन स्वत्वों (वेतन एरियर्स) का भुगतान किस प्रकार किया जावे ?

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रकरणों में बकाया स्वत्वों (वेतन एरियर्स) का भुगतान सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके परिवार, जैसी भी स्थिति हो, को एक मुश्त नगद किया जावेगा ।

उक्त आदेश क्रमांक 441 दिनांक 25.1.2010 के अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे ।

आदेशानुसार



(राजीव श्रीवास्तव)

अतिरिक्त सचिव (कार्मिक)—एक

क्रमांक 01-07/वेपुप्र/2424


जबलपुर, दिनांक 12.05.2010

प्रतिलिपि:—

1. अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक म.प्र. पावर ट्रांसमिशन/जनरेटिंग कंपनी/म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं लिमि जबलपुर/इंदौर /भोपाल
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेडको, जबलपुर
3. वित्तीय सलाहकार, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर
4. निदेशक (सतर्कता एवं सुरक्षा) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर
5. समस्त कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता, म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र.-----कं.लिमि.-----
6. कार्यपालक निदेशक(संपर्क), ई-4,अरेरा कालोनी भोजपुर क्लब के सामने, म.प्र.रा.वि.मं. भोपाल
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कार्मिक)—सचिवालय, म.प्र.रा.वि.मं. जबलपुर
8. प्रमुख (कम्प्यूटर सिस्टम एवं आटोमेशन), म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.रा.वि.मं. जबलपुर
10. निदेशक (वित्त/लेखा) म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र.-----कं.लिमि.-----
11. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता, म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र.-----कं.लिमि.---
12. अतिरिक्त निदेशक (वित्त/लेखा/बैंक एवं अर्थ प्रबंध/लेखा परीक्षा), म.प्र.रा. वि.मं जबलपुर
13. अतिरिक्त सचिव, म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लिमि./म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कं. लिमि,इंदौर/भोपाल/जबलपुर

14. समस्त अधीक्षण अभियंता, म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र.----- कं.लिमि.----- ।
15. संयुक्त निदेशक (लेखा/लेखा परीक्षा/भंडार व लेखा प्रबंध/पेंशन व भविष्य निधि/वित्त, म.प्र.रा.वि.मं. जबलपुर ।
16. विधि /सांख्यिकी /जनसंपर्क अधिकारी , औद्योगिक संबंध अधिकारी, म.प्र.रा.वि.मं. जबलपुर ।
17. प्रबंध संचालक (अपेक्स बॉडी), शक्ति भवन, म.प्र.रा.वि.मं., जबलपुर ।
18. स्थानिक अभियंता,एम-13/ग्रीन पार्क मेन, गेस्ट हाउस, म.प्र.रा.वि.मं.,दिल्ली ।
19. समस्त अति.अधी.अभि./कार्य. अभि., म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र.-----कं.लिमि.----- ।
20. समस्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र.-----कं.लिमि.----- ।
21. समस्त वरिष्ठ लेखाधिकारी/ म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र. ----- कं. लिमि.----- ।
22. अतिरिक्त महाप्रबंधक, शहपुरा थर्मल पावर कं.लिमि., जबलपुर ।
23. निज सचिव संबद्ध अध्यक्ष/सदस्य/वित्तीय सलाहकार/सचिव एवं गोपनीय अधिकारी, म.प्र.रा.वि.मं., जबलपुर
24. समस्त क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र.-----कं.लिमि.----- ।
25. समस्त अनुभाग अधिकारी, (कार्मिक)/सचिवालय, म.प्र.रा.वि.मं., जबलपुर ।
26. ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, म.प्र.रा.वि.मं., जबलपुर ।

—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



(आर. के. चौकसे)
संयुक्त सचिव (कार्मिक)—एक
म. प्र. राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर